भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 222

(सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा बाजार अध्ययन

222. श्री जी. कुमार नायकः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दूरसंचार सेवाओं, सीमेंट विनिर्माण में बाजार संकेंद्रण अथवा अल्पाधिकार प्रवृतियों के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्रों में सीसीआई द्वारा जांच किए गए बाजार शेयरों, हर्फ़िडाहल-हिर्शमैन इंडेक्स (एचएचआई) या किसी अन्य प्रतिस्पर्धा मेट्रिक्स सहित संकेंद्रण संकेतकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीसीआई ने इन क्षेत्रकों में प्रभुत्व के दुरुपयोग, मिलीभगत के आचरण, प्रवेश में आने वाली बाधाओं या ऊर्ध्वाधर एकीकरण से संबंधित चिंताओं की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत दस वर्षों के दौरान सीसीआई द्वारा इन क्षेत्रों में कितनी जांचें, विलय अनुमोदन और प्रवर्तन कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने और अत्यधिक बाजार संकेंद्रण को रोकने के लिए क्या नीतिगत उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): विभिन्न क्षेत्रों में बाजार संरचनाओं, व्यावसायिक कार्यप्रणालियों और प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों का आकलन करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा बाजार अध्ययन किए जाते हैं। इस संबंध में, सीसीआई ने 2020-21 के दौरान भारत में दूरसंचार क्षेत्र पर एक बाजार अध्ययन ("दूरसंचार अध्ययन") आयोजित किया। इस अध्ययन का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में संकेंद्रण और प्रतिस्पर्धा के स्तर का आकलन करना, प्रतिस्पर्धा रणनीतियों में

परिवर्तनों को उजागर करना, दूरसंचार सेवाओं और संबंधित उद्योगों जैसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सेवाओं, टावर कंपनियों और अवसंरचना प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग की गतिशीलता का विश्लेषण करना और अंत में, प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से विनियमों और नीति विकास की जांच करना था।

आयोग द्वारा विशेष रूप से सीमेंट विनिर्माण क्षेत्र में संकेंद्रण अथवा अल्पाधिकार प्रवृत्तियों से संबंधित कोई क्षेत्र-व्यापी बाजार अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रवर्तन और संयोजन प्रावधानों के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संबंधी समस्याओं की जांच की गई है।

दूरसंचार और सीमेंट क्षेत्रों से जुड़े संयोजनों का आकलन करते समय, आयोग अधिनियम की धारा 20(4) के तहत विनिदष्ट कारकों पर विचार करता है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ पक्षकारों की बाजार हिस्सेदारी और संबंधित बाजार में संकेन्द्रण का स्तर शामिल है। हर्फ़िंडाल-हर्शमैन सूचकांक (“एचएचआई”) का उपयोग बाजार संकेद्रण का आकलन करने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरणों में से एक के रूप में, जहां भी उपयुक्त हो, किया जाता है। ऐसे संकेतकों को प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और बाजार स्थितियों के साथ विचार किया जाता है।

(ग): भारत में दूरसंचार क्षेत्र पर बाजार अध्ययन में उच्च स्पेक्ट्रम लागतों और डेटा-चालित नेटवर्क प्रभावों से उत्पन्न होने वाली प्रवेश में आने वाली बाधाओं से संबंधित प्रतिस्पर्धा संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है और यह पाया गया है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत डिजिटल बाजारों, डेटा लीवरेज, गोपनीयता और ऊर्ध्वाधर एकीकरण से उत्पन्न होने वाले प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों के लिए मामला-दर-मामला मूल्यांकन की आवश्यकता है। अध्ययन में मिलीभगतपूर्ण आचरण का कोई विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है और यह नोट किया गया है कि मौजूदा ऊर्ध्वाधर एकीकरण को हितधारकों द्वारा सामान्यतः प्रतिस्पर्धा-अनुकूल माना जाता था और इससे कोई तत्काल प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंता उत्पन्न नहीं होती थी।

(घ): पिछले 10 वर्षों के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दूरसंचार क्षेत्र में 29 संयोजन मामलों और सीमेंट क्षेत्र में 15 संयोजन मामलों का निपटारा किया है। इसी अवधि के दौरान, सीसीआई ने दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित 3 मामलों और सीमेंट क्षेत्र से संबंधित 4 मामलों में जांच का निर्देश दिया। सीसीआई ने इस अवधि के दौरान दूरसंचार और सीमेंट क्षेत्रों से संबंधित 6-6 मामलों में अंतिम आदेश भी पारित किए हैं।

(ङ): *भारत में दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में बाजार अध्ययन* में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए की सुझाव शामिल हैं, जिनमें मूल्य और गैर-मूल्य दोनों पैरामीटरों जैसे सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस), डेटा स्पीड और बंडल ऑफरिंग के आधार पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांतों को बनाए रखना; पारदर्शी ट्रैफिक प्रबंधन कार्यप्रणालियों को सुगम बनाना; अवसंरचना को साझा करने और अवसंरचना और सेवाओं को अलग करने को प्रोत्साहित करना; ऊर्ध्वाधर एकीकरण और बहु-पक्षीय बाजारों का आकलन करना, और अंतर-नियामक परामर्श को मजबूत करना शामिल है।
